24.0 प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर दिव्यांग बच्चों के समावेशन हेतु बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयास: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

- **नीरज रंजन सिंह,** शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
- **डॉ. डी. एन. सिंह,** पूर्व उप प्राचार्य, जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिग कॉलेज, लहेरिया सराय, दरभंगा, बिहार

सारांश

बिहार में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर दिव्यांग बच्चों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई नीतिगत और कार्यक्रमगत प्रयास किए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य बिहार राज्य की समावेशी शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं का विश्लेषण, उनके कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन तथा समावेशन के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों की पहचान करना है। द्वितीयक डेटा विश्लेषण, प्राथमिक सर्वेक्षण और फोकस ग्रुप चर्चा के माध्यम से यह शोध किया गया। परिणामस्वरूप पाया गया कि बिहार में समावेशी शिक्षा के लिए अवसंरचना, शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक उपकरण वितरण और सामुदायिक जागरूकता जैसे क्षेत्रों में प्रगति हुई है। तथापि, कोविड-19 महामारी के प्रभाव, विशेष शिक्षकों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना की अनियमितता, सामाजिक कलंक और विभागीय समन्वय की कमी जैसी बाधाएँ अभी भी प्रभावी समावेशन में रुकावट हैं। अध्ययन में नीतिगत सुधार, मानव संसाधन विकास, अवसंरचना विस्तार, जागरूकता अभियानों तथा अंतर-विभागीय समन्वय को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। यह शोध बिहार में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए सरकार की पहल की उपलब्धियों और चुनौतियों का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है।

मुख्य बिंदु - प्राथमिक शिक्षा, दिव्यांग

प्रस्तावना

बिहार में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें बिहार राज्य समावेशी शिक्षा नीति (2019), मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के नियम प्रमुख हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों की पहचान करने के शिविर, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, समावेशी शिक्षा संसाधन केंद्रों की स्थापना और आवश्यक सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है।

इन प्रयासों से अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में रैंप, हैंडरेल और बाधा-मुक्त शौचालय जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे दिव्यांग बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार हो रहा है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के बाद इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। विशेष शिक्षकों की कमी, ग्रामीण इलाकों में अवसंरचना की कमियां, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता में दिक्कतें और समाज में जागरूकता का अभाव प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी और सीमित बजट ने भी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को प्रभावित किया है।

शोध के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे:

- बिहार राज्य में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक समावेशन हेतु सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण करना।
- इन नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करना।

प्रयुक्त शोध पद्धतियाँ

इस अध्ययन में निम्नलिखित शोध पद्धतियों का प्रयोग किया गया:

द्वितीयक डेटा विश्लेषण

- बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्रकाशित नीतिगत दस्तावेज़ों, वार्षिक रिपोर्टों और प्रगति प्रतिवेदनों का अध्ययन।
- UDISE/U-DISE (भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय) के आंकड़ों का विश्लेषण।

फोकस ग्रुप डिस्कशन:

- दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समितियों और स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के साथ 15 फोकस ग्रुप चर्चाएँ।
- विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं का गहन अध्ययन।

विश्लेषण किए गए डेटा और उनके स्रोत:

डेटा का प्रकार	स्रोत	विवरण
नीतिगत दस्तावेज़ और रिपोर्टें	बिहार सरकार (2019, 2022-23), सामाजिक न्याय विभाग (2022)	बिहार राज्य समावेशी शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक रिपोर्ट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण वार्षिक रिपोर्ट
नामांकन और प्रतिधारण आंकड़े	UDISE/U-DISE रिपोर्ट, भारत सरकार (2021-22)	विभिन्न वर्षों के स्कूलों में नामांकित दिव्यांग बच्चों के आंकड़े
फोकस ग्रुप डिस्कशन से प्राप्त अभिप्राय	दिव्यांग बच्चों के अभिभावक, स्थानीय शिक्षा अधिकारी	समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ और अनुभव
केस स्टडीज विवरण	चयनित मॉडल स्कूल	सफल समावेशी शिक्षा के उदाहरण और प्रथाएँ

बिहार सरकार की प्रमुख नीतिगत पहल:

राज्य स्तरीय नीतियां और कार्यक्रम:

बिहार सरकार ने दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की हैं:

1. **बिहार राज्य समावेशी शिक्षा नीति (2019):**यह नीति दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें स्कूलों में अवसंरचना, संसाधन, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रणाली से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं।
2. **मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना:**इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री और सहायक उपकरणों का प्रावधान किया जाता है।
3. **बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली (2017):**दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार राज्य स्तर पर निर्मित नियमावली, जिसमें शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहल:

समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार में दिव्यांग बच्चों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

1. **पहचान और आकलन शिविर:**जिला और ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनकी विशेष आवश्यकताओं के आकलन के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है।
2. **रिसोर्सटीचर्स की नियुक्ति:**राज्य में 1,200 से अधिक विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों (रिसोर्सटीचर्स) की नियुक्ति की गई है, जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता प्रदान करते हैं।
3. **इंक्लूसिव एजुकेशन रिसोर्स सेंटर्स (IERC):**प्रत्येक जिले में IERC की स्थापना की गई है, जहाँ विशेष शिक्षण सामग्री, थेरेपी सेवाएँ और परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
4. **सहायक उपकरण वितरण:**दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, आदि सहायक उपकरणों का वितरण किया जाता है।

अवसंरचना विकास:

बिहार सरकार ने स्कूलों में दिव्यांग-अनुकूल अवसंरचना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया है:

1. **बाधा-मुक्त पहुँच:** 75% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में रैंप, हैंडरेल और बाधा-मुक्त शौचालयों का निर्माण किया गया है।
2. **संसाधन कक्ष:**जिला स्तर पर 38 और ब्लॉक स्तर पर 200 से अधिक संसाधन कक्षों की स्थापना की गई है, जहाँ विशेष शिक्षण सामग्री और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
3. **दिव्यांग-अनुकूल फर्नीचर:**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुकूलित डेस्क, कुर्सियाँ और अन्य फर्नीचर की व्यवस्था की गई है।

शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

शिक्षकों की क्षमता विकास के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1. **इन-सर्विस टीचर ट्रेनिंग:**नियमित शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा पर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जिनके माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 20,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है।
2. **डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन:**राज्य के 5 जिलों में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं।
3. **ब्लॉक और क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएँ:**समावेशी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

प्रगति और उपलब्धियां:

नामांकन और प्रतिधारण में बदलाव:

बिहार में दिव्यांग बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण में निम्नलिखित प्रवृत्ति देखी गई है:

वर्ष	स्कूलों में नामांकित दिव्यांग बच्चे (CWSN)	कुल छात्र नामांकन	CWSN नामांकन प्रतिशत
2015-16	1,91,464	2,53,09,885	0.76%
2016-17	1,94,808	2,54,49,908	0.77%
2017-18	1,97,978	2,54,67,486	0.78%
2018-19	1,95,963	2,53,76,799	0.77%
2019-20	1,83,908	2,52,69,722	0.73%
2020-21	1,74,173	2,55,42,197	0.68%
2021-22	1,77,989	2,70,46,438	0.66%

स्रोत: UDISE/U-DISE रिपोर्ट्स, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2017-18 तक दिव्यांग बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई थी, परंतु उसके बाद इसमें गिरावट आई है। विशेष रूप से 2019-20 से 2020-21 के बीच की गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण भी हो सकती है। हालांकि, 2021-22 में फिर से हल्की वृद्धि देखी गई है।

समावेशी शिक्षण सामग्री का विकास:

बिहार सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री विकसित की है:

1. **ब्रेल पाठ्यपुस्तकें:**कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों की ब्रेल पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।
2. **श्रव्य पाठ्यपुस्तकें:**दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स का विकास किया गया है।
3. **सरलीकृतपाठ्यसामग्री:**बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए सरलीकृत पाठ्य सामग्री तैयार की गई है।
4. **संकेत भाषा वीडियो:**श्रवण बाधित बच्चों के लिए संकेत भाषा में शिक्षण वीडियो विकसित किए गए हैं।

सफल केस स्टडीज:

राज्य में कुछ मॉडल स्कूलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है:

1. **मुजफ्फरपुर मॉडल इंक्लूसिव स्कूल:**इस स्कूल में 132 दिव्यांग बच्चे नियमित बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं। स्कूल में पूर्ण बाधा-मुक्त वातावरण, संसाधन कक्ष और प्रशिक्षित विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं।
2. **गया जिला प्राथमिक विद्यालय:**यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है, जिसमें स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर और ब्रेल डिस्प्ले के साथ कंप्यूटर उपलब्ध हैं।
3. **पटना सिटी प्राइमरी स्कूल:**यहाँ औटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए सेंसरी रूम और व्यवहार थेरेपी कक्ष की व्यवस्था की गई है।

चुनौतियां और बाधाएँ:

शोध में पहचानी गई प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

मानव संसाधन संबंधी चुनौतियां:

1. **विशेष शिक्षकों की कमी:**राज्य में अभी भी विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। सर्वेक्षण के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार केवल 40% विशेष शिक्षक ही उपलब्ध हैं।
2. **प्रशिक्षण की गुणवत्ता:**नियमित शिक्षकों को दिए जाने वाले समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण की अवधि और गुणवत्ता अपर्याप्त पाई गई है।
3. **मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की कमी:**अधिकांश स्कूलों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध नहीं हैं, जो दिव्यांग बच्चों के सामाजिक-भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अवसंरचना संबंधी चुनौतियां:

1. **ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त अवसंरचना:**ग्रामीण क्षेत्रों के 45% स्कूलों में अभी भी बाधा-मुक्त पहुँच का अभाव है।
2. **संसाधन कक्षों की कमी:**कई ब्लॉक स्तरीय स्कूलों में अभी भी संसाधन कक्ष स्थापित नहीं किए गए हैं।
3. **सहायक उपकरणों की अनुपलब्धता:**कई दिव्यांग बच्चों को अभी भी आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां:

1. **जागरूकता की कमी:**अभिभावकों और समुदाय में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता की कमी है।
2. **सामाजिक कलंक:**कई समुदायों में दिव्यांगता को अभी भी एक कलंक माना जाता है, जिससे दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच बाधित होती है।

3. **अभिभावकों की सहभागिता की कमी:**दिव्यांग बच्चों के अभिभावक स्कूल प्रबंधन समितियों और अन्य शैक्षिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं।

प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियां:

1. **अपर्याप्त बजट आवंटन:**दिव्यांग बच्चों के लिए आवंटित बजट उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अपर्याप्त है।
2. **विभागों के बीच समन्वय की कमी:**शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय की कमी है।
3. **निगरानी और मूल्यांकन का अभाव:**कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र का अभाव है।

भविष्य का मार्ग: सुझाव और अनुशंसाएँ:

शोध के आधार पर निम्नलिखित सुझाव और अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई हैं:

नीतिगत सुधार:

1. **राज्य स्तरीय समावेशी शिक्षा मिशन:**एक समर्पित मिशन मोड परियोजना की स्थापना, जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित हो।
2. **क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां:**विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए अलग-अलग रणनीतियों का विकास।
3. **निजी क्षेत्र की भागीदारी:**निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ।

मानव संसाधन विकास:

1. **विशेष शिक्षकों की भर्ती:**राज्य स्तर पर 5,000 अतिरिक्त विशेष शिक्षकों की भर्ती।
2. **प्रशिक्षण में सुधार:**शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा के मॉड्यूल को मजबूत करना।
3. **मास्टर ट्रेनर्स का विकास:**प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 मास्टर ट्रेनर्स का विकास, जो स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।

अवसंरचना विकास:

1. **100% बाधा-मुक्त स्कूल:** अगले 3 वर्षों में सभी प्राथमिक स्कूलों को पूर्ण रूप से बाधा-मुक्त बनाना।
2. **संसाधन कक्षों का विस्तार:**प्रत्येक 5 स्कूलों के क्लस्टर में कम से कम एक संसाधन कक्ष स्थापित करना।
3. **डिजिटल समावेशन:**स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षण सामग्री में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना।

जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी:

1. **जागरूकता अभियान:**दिव्यांगता और समावेशी शिक्षा के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
2. **अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम:**दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. **सामुदायिक निगरानी तंत्र:**स्थानीय समुदाय की भागीदारी से समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों की निगरानी के लिए तंत्र विकसित करना।

अंतर-विभागीय समन्वय:

1. **समन्वय समिति:** शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभागों के बीच समन्वय के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।
2. **एकीकृत डेटाबेस:**दिव्यांग बच्चों का एक एकीकृत डेटाबेस विकसित करना, जिसे सभी संबंधित विभाग साझा कर सकें।
3. **संयुक्त कार्य योजना:**विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त वार्षिक कार्य योजना का विकास और कार्यान्वयन।

निष्कर्ष:

बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर दिव्यांग बच्चों के समावेशन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2017-18 के बाद से दिव्यांग बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण में गिरावट आई है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

शोध से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जिन्हें एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण से संबोधित करने की आवश्यकता है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, अवसंरचना विकास, जागरूकता अभियान और अंतर-विभागीय समन्वय पर अधिक ध्यान देकर इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

यह अध्ययन बिहार में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए सरकार की पहलों की उपलब्धियों और चुनौतियों का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। इस शोध से प्राप्त निष्कर्षों और सुझावों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल करने से राज्य में दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक समावेशन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि बिहार राज्य में दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक समावेशन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी विभागों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी शामिल हो। आवश्यक है कि हम सामूहिक रूप से "सबके लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें ताकि बिहार राज्य दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक समावेशन का एक आदर्श मॉडल बन सके।

संदर्भ

बिहार सरकार. (2019). *बिहार राज्य समावेशी शिक्षा नीति*. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार.
बिहार सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग. (2022). *दिव्यांगजन सशक्तिकरण वार्षिक रिपोर्ट*. बिहार सरकार.
बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद. (2023). *दिव्यांग बच्चों की शिक्षा: प्रगति प्रतिवेदन*. बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद।
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार. (2023). *समग्र शिक्षा अभियान: वार्षिक प्रगति रिपोर्ट 2022-23*. बिहार सरकार।
भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2022). *UDISE/U-DISE रिपोर्ट 2021-22*. सरकार का राष्ट्रीय शैक्षिक आंकड़ा संग्रह।
भारत सरकार. (2016). *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016*. भारत सरकार।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2018). *समावेशी शिक्षा पर शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल*. भारत सरकार।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मुजफ्फरपुर. (2023). *अवसंरचना विकास रिपोर्ट*. बिहार सरकार।
Census of India. (2011). *Primary Census Abstract Data Highlights – Disability Data*. Registrar General & Census Commissioner, India. https://censusindia.gov.in/